फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

पवन कुमार आदि बनाम बलवंतराम वगैरह
किस्म मुकदमाः–212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्याः–40/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.11.2019	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। बहस वकील प्रार्थीगण दिनांक 22.10.19 को सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थीगण के दादा व अप्रार्थी नं. 1 के पिता जोतराम व प्रार्थीगण की दादी व अप्रार्थी नं. 1 की माता गुड्डी पत्नी जोतराम के नाम से चक 6 एसएचपीडी के प0नं0 65/340 कि0नं0 13 ता 18, 22 ता 25 में 2.530 है0 अ0क0 मय खाला व प0नं0 65/344 कि0नं0 1 ता 20/5.060 है0 अ0क0 कुल 7.590 है0 अ0क0 मय खाला भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 03 में दर्ज रकबा प्रार्थीगण के दादा/दादी व अप्रार्थी नं. 1 के पिता/माता जोतराम व गुड्डीदेवी के फौत हो जाने के उपरान्त अप्रार्थी नं. 1 को विरास्तन प्राप्त हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 नशे का आदि है व अप्रार्थी नं .1 अपने उक्त पैतृक सम्पति को रहन बेचान करने पर उतारू है अगर अप्रार्थी नं. 1 अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। चूंकि जैर प्रकरण रकबा अप्रार्थी नं. 01 को विरास्तन प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थीगण 2/3 हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण का हिस्सानुसार काश्त है। अप्रार्थी नं. 1 ने धमकी दी है कि वह जैर प्रकरण रकबा किसी अन्य को बेचान कर देगा। यदि अप्रार्थी सं. 1 अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा के निर्णय तक जैर प्रकरण रकबा का रहन, बैय, हस्तातंरण एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश जारी किया जावे। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न जमाबंदी व दस्तावेज से स्पष्ट है कि वादाधीन भूमि अप्रार्थीगण 1 को विरास्तन प्राप्त हुई है। यदि जैरप्रकरण रकबा का अप्रार्थी सं .1 ने किसी अन्य को बेचान कर दिया तो प्रार्थीगण को न पुरा होने वाला नुकसान होना संभावित है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण की ओर होना प्रकट होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रा.पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे चक 6 एस.एच.पी.डी. के प0नं0 65/340 के कि0नं0 13 ता 18, 22 ता 25 में 2.530 है0 अ0क0 मय खाला व प0नं0 65/344 कि0नं0 1 ता 20 में 5.060 है0 अ0क0 कुल 7.590 है0 अ0क0 मय खाला खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थीगण के 2/3 हिस्सा भूमि को वाद पत्र के निर्णय तक रहन, बेचान नही करे तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.11.09 14:35:29 IST
Reason: SelfAttested